संख्या– 1230 / 36–03–2020–1820 / 2012

प्रेषक,

सुरेशचन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

श्रम आयुक्त,
उ0प्र0 कानपुर।

श्रम अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनाँक :: 22 अक्टूबर, 2020

विषयः– श्रम आयुक्त संगठन के अन्तर्गत निर्गत नवीन निरीक्षण प्रणाली व स्वप्रमाणन व्यवस्था में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–13 / 2017 / 836 / 36–03– 2017–1820 / 12 दिनांक 28.07.2017 व तत्सम्बन्धी संशोधन सम्बन्धी पत्र संख्या–236 / 36–03–2019–1820 / 12, दिनांक 06.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रमिकों के हित संवर्धन तथा श्रमिक व सेवायोजक के मध्य मधुर औद्योगिक संबधों को स्थापित करने एवं श्रमिकों के व्यापक हित में श्रम अधिनियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने हेतु निरीक्षण एवं स्वप्रमाणन की प्रकिया निर्धारित की गयीहै।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित की जाने वाली इकाईयों हेतु जनहित में श्रम आयुक्त संगठन के अन्तर्गत निर्गत नवीन निरीक्षण प्रणाली व स्वप्रमाणन व्यवस्था लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–13 / 2017 / 836 / 36–03–2017–1820 / 12 दिनांक 28.07.2017 के बिन्दु संख्या–07 में निम्न संशोधन किया जाता है:–

पूर्व प्रकिया	वर्तमान प्रकिया
स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित की जाने वाली इकाईयों को 03 वर्ष तक निरीक्षण से छूट स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों को इकाई स्थापित होने के दिनांक से 03 वर्ष तक स्व–प्रमाणन के अन्तर्गत आवेदन किये जाने के आधार पर श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी परन्तु क्रमांक–6 की स्थिति में उक्त छूट मान्य नही होगी।	**स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित की जाने वाली इकाईयों को 10 वर्ष तक निरीक्षण से छूट** स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों / इन्क्यूबेटर्स / उत्कृष्टता केन्द्रों को इकाई स्थापित होने के दिनांक से 10 वर्ष तक स्व–प्रमाणन के अन्तर्गत आवेदन किये जाने के आधारपर श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन / शिकायत की स्थिति में कोई निरीक्षण उक्त अवधि तक नही किया जायेगा, जब तक उल्लंघन की विश्वसनीय और सत्यापन योग्य लिखित शिकायत प्राप्त न हो। ऐसा होने पर श्रमायुक्त, उ0प्र0 की अनुमति से निरीक्षण अधिकारी से कम से कम एक स्तर ऊपर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्टार्ट अप्स का निरीक्षण किया जा सकता है।

शासनादेश संख्या–13 / 2017 / 836 / 36–03–2017–1820 / 12 दिनांक 28.07.2017 व तत्सम्बन्धी संशोधन सम्बन्धी पत्र संख्या–236 / 36–03–2019–1820 / 12, दिनांक 06.02.2019 में निरीक्षण एवं स्वप्रमाणन की निर्धारित प्रकिया एवं अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1230 (1)/36–03–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर मुख्य सचिव, आई0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)
5– अधिशासी निदेशक बन्धु, 12–सी माल एवेन्यू लखनऊ।
6– निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक कारखाना/निदेशक ब्वायलर्स, उ0प्र0 कानपुर।
8– समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)
9– समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक कारखाना, उ0प्र0)
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
विशेष सचिव।